

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 13/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा बी-2 बाईपास मानसरोवर
जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री उमेश कुमार

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स आनंद कुमार हुडा ग्राम गांगियासर, तहसील-फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर-332301
2. आनंद कुमार हुड्डा पुत्र चुन्नी लाल चौधरी
पता-प्लॉट नंबर 602-एल, हनुमान नगर एक्सटेंशन, विश्वामित्र मार्ग, संस्कार के पास स्कूल, सिरसी रोड, जयपुर, राजस्थान-302012

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:- 15 जुलाई, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री बने सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः मैसर्स आनंद कुमार हुड्डा एवं आनंद कुमार हुड्डा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी आनंद कुमार हुड्डा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मयूर होटल, खसरा सहित संपत्ति का सारा टुकड़ा नं0 477/1/1/1 एवं 476/2/1/2, जयपुर-बीकानेर रोड, ग्राम गोविंदपुरा हरदयालपुरा, पटवार हल्का रोहाल, तहसील-रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर राज0 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5342.88 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में खसरा नं. 476/2/1/2, पश्चिम दिशा में खसरा नं. 477/1/1/1 का भाग, उत्तर दिशा में खसरा नं 489 एवं दक्षिण दिशा में जयपुर-बीकानेर रोड एनएच-11 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 87,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये सतासी लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने के कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets



कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट

and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.11.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स आनंद कुमार हुड्डा एवं आनंद कुमार हुड्डा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आनंद कुमार हुड्डा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **मयूर होटल, खसरा सहित संपत्ति का सारा टुकड़ा नं० 477/1/1/1 एवं 476/2/1/2, जयपुर-बीकानेर रोड़, ग्राम गोविंदपुरा हरदयालपुरा, पटवार हल्का रोहाल, तहसील-रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर राज०** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **5342.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में खसरा नं. 476/2/1/2, पश्चिम दिशा में खसरा नं. 477/1/1/1 का भाग, उत्तर दिशा में खसरा नं 489 एवं दक्षिण दिशा में जयपुर-बीकानेर रोड़ एनएच-11 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **15 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कमर उल जमान चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर